पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

2016 का आपराधिक विविध सं. 53050

थाना मामला सं. 145 वर्ष- 2013 थाना- नालंदा परिवाद मामला जिला- नालंदा से उत्पन्न

==========

1. कामेश्वर रविदास @ कामेशर रविदास, धन्नू रविदास के पुत्र

2. पप्पु रविदास, कामेश्वर रविदास के पुत्र

3. राम प्रवेश रविदास, सोखी रविदास के पुत्र, सभी नालंदा जिले के गाँव- बेन, थाना- बेन के निवासी हैं।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. छेदी रविदास, स्वर्गीय रामवृक्ष रविदास के पुत्र, निवासी- गाँव- महांगुपुर, थाना- नूरसराय, जिला- नालंदा

.....विपरीत पक्ष/ओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री बिनोद कुमार सं. 3, एपीपी

सूचक के लिए: श्री रवि प्रकाश, अधिवक्ता

श्री पुरुषोत्तम शर्मा, अधिवक्ता

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—संज्ञान आदेश को रद्द करना—सूचना देने वाले का पुत्र एक दुर्घटना में मरा जब वह ट्रैक्टर चला रहा था—एक ही घटना के लिए दो एफआईआर दर्ज की गईं, एक विपक्षी पार्टी के साले द्वारा, और दूसरी विपक्षी पार्टी द्वारा स्वयं—पुलिस ने विपक्षी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सार नहीं पाया—विपक्षी पार्टी ने अपनी शिकायत दर्ज कराने से पहले पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज कराने का कोई प्रयास नहीं बताया, जो उसके खिलाफ जाता है और विपक्षी पार्टी द्वारा बाद में दायर याचिका के दुष्ट इरादे की संभावना को बढ़ाता है—पुलिस ने याचिकाकर्ताओं द्वारा मृतक के कथित हत्या के अपराध को दिखाने के लिए कोई प्रासंगिक सामग्री नहीं पाई—आरोपित अपराधों के संज्ञान लेने का आदेश न्यायिक मन को लागू किए बिना यांत्रिक रूप से पारित किया गया है, इसलिए यह कानून में गलत है—आरोपित आदेश को रद्द किया गया—याचिका स्वीकार की गई।

(पैरा 5, 6)

2006 (3) पी.एल.जे.आर 98—**संदर्भित किया गया।**

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

पीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

9 11-02-2025 याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुनील कुमार, वि. पक्ष सं. 2 के विद्वान वकील श्री रवि प्रकाश और राज्य के लिए विद्वान एपीपी श्री विनोद कुमार सं. 3 को सुना।

2. तत्काल याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में 'सी.आर.पी.सी.') के तहत बिहारशरीफ में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नालंदा द्वारा 2013 के विरोध-सह-परिवाद मामला संख्या 145 (सी) के संबंध में पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो 2012 के बेन थाना मामला संख्या 79 से उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सुनील कुमार प्रस्तुत करते हैं कि तत्काल मामला दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का एक उदाहरण है जो शिकायतकर्ता/सूचक के बेटे की अप्राकृतिक मौत से संबंधित है, वास्तव में, सूचक के बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई जब वह ट्रैक्टर चला रहा था और उस दुर्घटना के संबंध में, 2012 का बेन थाना मामला संख्या 43 आई. पी. सी. की धारा 279,304 ए और 201 के तहत शिकायतकर्ता के बहनोई राम प्रवेश रविदास (वि. पक्ष सं. 2) के फर्दबयान के आधार पर दर्ज किया गया था जिसमें उचित जांच की गई थी और मृतक के पिता का बयान भी दिनांक 20.05.2012 को दर्ज किया गया था जिसमें मृतक के पिता ने अपने बेटे की दुर्घटनावश मौत के तथ्य का खुलासा किया, हालांकि, उन्होंने बिना किसी आधार के आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने बेटे की हत्या के बारे में भी संदेह जताया है, लेकिन इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि वि. पक्ष सं. 2 को प्रारंभिक चरण में कथित घटना की जानकारी मिली थी, लेकिन वह कई दिनों तक चुप रहे और बाद में अपने बेटे की मृत्यु के लगभग पचास दिन बाद दिनांक 25.06.2012 को टाइप की गई याचिका दायर की और उस याचिका में उन्होंने याचिका दायर करने से पहले प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए किसी भी कदम का खुलासा नहीं किया गया और वि. पक्ष सं. 2 का उक्त आचरण अपने आप में याचिकाकर्ताओं को परेशान करने के साथ-साथ उन पर दबाव बनाकर उनसे पैसे लेने के उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 2012 के बेन थाना मामले संख्या 43 में पुलिस ने आई. पी. सी.

की धारा 279,304 ए और 201 के तहत मनोज रविदास के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जो कथित ट्रैक्टर चला रहा था, जिससे मृतक नीचे गिर गया और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और 2012 के बेन थाना मामले संख्या 43 की केस डायरी में मृतक की मृत्यु को मोटर दुर्घटना के कारण होने के लिए पर्याप्त सामग्री है और आगे, जांच रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह भी सुझाव नहीं दिया गया कि कथित हत्या की गई थी और मृतक के शरीर पर पाई गई बाहरी और आंतरिक चोटें मोटर दुर्घटना के कारण होने की पूरी संभावना है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वि. पक्ष सं. 2 ने अपनी विरोध याचिका में केवल अपना संदेह जताया और याचिकाकर्ताओं के कथित अपराध करने के उद्देश्य के बारे में उन्होंने केवल यह खुलासा किया कि याचिकाकर्ता राम प्रवेश रविदास और कामेश्वर रविदास को शादी के खर्चों को पूरा करने के साथ-साथ एक ट्रैक्टर खरीदने के उद्देश्य से 15,000/- और 20,000/- दिए गए थे, लेकिन इन तथ्यों के बारे में, पैराग्राफ संख्या 8 में दिया गया बयान पूरी तरह से अस्पष्ट है और जांच अदालत के समक्ष इस संबंध में कोई सबूत नहीं दिया गया और इसके अलावा, पुलिस को 2012 के बेन थाना मामला संख्या 79 में वि. पक्ष सं. 2 द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सार नहीं मिला और परिणामस्वरूप, पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें तथ्य की गलती के कारण प्राथमिकी दर्ज करने को दिखाया गया था।

4. इसके विपरीत, वि. पक्ष सं. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रवि प्रकाश ने इस याचिका का जोरदार विरोध किया और उन्होंने प्रस्तुत किया कि तत्काल मामला वि. पक्ष सं. 2 के बेटे की अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित है और विद्वान मजिस्ट्रेट ने आई. पी. सी. की धारा 302 और 120 बी के तहत दंडनीय गंभीर अपराधों का संज्ञान लिया है और शिकायतकर्ता (वि. पक्ष सं. 2) ने शिकायत दर्ज करने में देरी के कारण का खुलासा किया है और आगे, जांच अदालत के समक्ष, शिकायतकर्ता के साथ-साथ जांच गवाहों ने कथित आरोपों का पूर्ण समर्थन किया और याचिकाकर्ताओं की ओर से कथित अपराध करने के

उद्देश्य का भी खुलासा किया था। वह आगे प्रस्तुत करते है कि केवल संज्ञान लेने के स्तर पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या अपराध का *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है या नहीं और गंभीर अपराध करने के संबंध में आरोप को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है या आरोप का आधार केवल संदेह है। इस दलील के समर्थन में, विद्वान वकील ने इस न्यायालय द्वारा **अब्दुल अजीज बनाम बिहार राज्य** जो **2006 (3) पीएलजेआर 98** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा जताया है तथा प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 7, जिस पर भरोसा किया गया है, को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है

> *"7. यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि इस स्तर पर मजिस्ट्रेट को केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं। इस स्तर पर यह नहीं देखा जा सकता है कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए सामग्री पर्याप्त है या नहीं। इसलिए, हालांकि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ उसकी संलिप्तता के लिए कुछ परिस्थितियां हैं, इस न्यायालय के लिए विवादित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।"*

5. दोनों पक्षों को सुना और आक्षेपित आदेश और 2012 के बेन थाना मामला सं. 43 और 2012 के बेन थाना मामला सं. 79 की केस डायरी और वि. पक्ष सं. 2 द्वारा दायर विरोध याचिका और विरोध याचिका पर शिकायतकर्ता (वि. पक्ष सं. 2) द्वारा जांचे गए गवाहों के बयान जैसी अन्य प्रासंगिक सामग्री का भी अध्ययन किया। हालांकि किसी अपराध का संज्ञान लेने के चरण में केस डायरी में उपलब्ध या जांच अदालत के समक्ष दिए गए गवाहों के बयानों जैसी सामग्री पर केवल संबंधित मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा *प्रथम दृष्टया* अपराध किए जाने का पता लगाने के लिए गौर किया जाता है। लेकिन हालाँकि, यह न्यायालय अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है जब सूचना देने वाले या शिकायतकर्ता द्वारा दुर्भावनापूर्ण

अभियोजन का सुझाव देने वाली मजबूत परिस्थितियाँ हैं और ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से किसी को बचाने के लिए बाध्य है। तत्काल मामले में, वि. पक्ष सं. 2 के बेटे की मृत्यु 05.05.2012 को हो गई थी और मृतक की मृत्यु का तथ्य मृत्यु के तुरंत बाद वि. पक्ष सं. 2 के संज्ञान में आ गया था, लेकिन फिर भी वह कई दिनों तक चुप रहा और कथित हत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बावजूद इसके कि उसने 2012 के बेन थाना केस नंबर 43 में अपना बयान दर्ज किया, जो वि. पक्ष सं. 2 के बहनोई द्वारा आई. पी. सी. की धारा 279,304ए और 201 के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया था तथा कथित हत्या की जांच के लिए कानूनी सहारा लेने में वि. पक्ष सं 2 की ओर से उक्त लंबी चुप्पी वि. पक्ष सं 2 के आचरण को अत्यधिक संदिग्ध बनाती है। वि. पक्ष सं. 2 ने अपनी शिकायत दर्ज की जिसे 25.06.2012 को जांच के लिए पुलिस को भेजा गया था, जबकि मृतक की मृत्यु की कथित घटना 05.05.2012 को हुई थी और आगे, वि. पक्ष सं. 2 द्वारा अपनी शिकायत-सह-विरोध याचिका में लगाए गए आरोप पूरी तरह से संदेह पर आधारित थे और न तो शिकायतकर्ता और न ही उसके जांच गवाहों ने कथित हत्या के कृत्य को देखने का दावा किया। जहाँ तक वि. पक्ष सं. 2 के बेटे की हत्या करने के याचिकाकर्ताओं के उद्देश्य का संबंध है, वि. पक्ष सं. 2 ने अपनी शिकायत में खुलासा किया याचिकाकर्ताओं राम प्रवेश रविदास और कामेश्वर रविदास को शादी के खर्च और ट्रैक्टर खरीदने के लिए 15,000/- और 20,000/- रुपये दिए गए थे लेकिन इन लेन-देन के संबंध में वि. पक्ष सं. 2 द्वारा अपनी शिकायत में दिया गया बयान पूरी तरह से अस्पष्ट है और आगे, इस संबंध में, उनके द्वारा जांच अदालत के समक्ष कोई सबूत नहीं दिया गया था। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पुलिस को 2012 के बेन थाना केस नंबर 79 में वि. पक्ष सं. 2 द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सार नहीं मिला। वि. पक्ष सं. 2 ने अपनी शिकायत दर्ज करने से पहले पुलिस के समक्ष प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अपनी ओर से किसी भी प्रयास का खुलासा नहीं किया, जो उनके खिलाफ भी जाता है और वि. पक्ष

सं. 2 द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से बाद में याचिका दायर करने की बड़ी संभावना पैदा करता है। मृतक की मौत की पुलिस ने दो मामलों में जांच की है, पहले बेन थाना मामला संख्या 43/2012 में शिकायतकर्ता के बहनोई (वि. पक्ष सं. 2) द्वारा दर्ज किया गया और बेन थाना मामला संख्या 79/2012 में वि. पक्ष सं. 2 द्वारा दर्ज किया गया और पुलिस को याचिकाकर्ताओं द्वारा मृतक की कथित हत्या के प्रथम दृष्टया भी दिखाने के लिए कोई प्रासंगिक सामग्री नहीं मिली।

6. उपरोक्त परिस्थितियों ने इस न्यायालय को यह राय बनाने के लिए प्रेरित किया कि वि. पक्ष सं. 2 ने शुरू में शिकायत के माध्यम से अपना मामला दायर किया और उसके बाद, पुलिस द्वारा अंतिम प्रपत्र जमा करने पर विरोध याचिका के माध्यम से केवल याचिकाकर्ताओं को परेशान करने या उनके बेटे की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति का लाभ उठाकर उनसे धन उगाही करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किया था, इसलिए न्याय का हित याचिकाकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाने की मांग करता है और कथित अपराधों का संज्ञान लेते हुए विवादित आदेश को न्यायिक विवेक का उपयोग किए बिना यांत्रिक रूप से पारित किया गया है, इसलिए यह कानून की दृष्टि से गलत है और यदि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति दी जाती है तो यह कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग होगा, इसलिए, विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/-

यू		टी	

ए.एफ.आर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।